जैन (एडवोकेट), श्री शरद

भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र- जबलपुर उत्तर (98)

पिता का नाम-	स्व. श्री धनालाल जैन
जन्म तिथि-	19 जून,1952
जन्म स्थान-	जबलपुर
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती इंदिरा जैन
संतान-	1 पुत्र, 1 पुत्री
शैक्षणिक योग्यता-	बी.एस.सी. (प्रथम वर्ष), बी.कॉम., एल-एल.बी.
व्यवसाय-	वकालात
अभिरुचि-	क्रिकेट, समाजसेवा, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां
स्थायी पता-	म.नं. नया 601 (पुराना 707), कमानिया गेट के पास, सराफा वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष-(0761) 2410335 (कार्या.), 2653036 (नि.) मोबाइल-9425151895 ई-मेल-sharad.jain@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	सी-18, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)दूरभाष-(0755) 2557929, 2441361, 2558830 (मंत्रालय), 2523167 (विधान सभा)

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

संघ के संस्कारों से संस्कारित संगठन, समाज एवं राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में दिये गये दायित्वों का निर्वहन. 1973 में भारतीय युवा संघ के जिला निधि सचिव तत्पश्चात प्रधान सचिव तथा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में सक्रिय. 1974 में जे.पी. के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय. विभिन्न आंदोलनों में अनेक बार जेल यात्रा. आपातकाल में भूमिगत कार्य तत्पश्चात सत्याग्रह कर सेन्ट्रल जेल में निरूद्ध रहे. 1977-84 में भा.ज.पा. युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष. 1980 में भा.ज.पा. के जिला मंत्री, 1992 में प्रदेश प्रतिनिधि तथा 1997 में जिला चिकित्सा समिति एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य. जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर. जैन नवयुवक सभा के अध्यक्ष. विश्व संवाद केन्द्र महाकौशल के न्यासी एवं कार्यकारिणी मंडल के सदस्य. सन् 1984 में मध्य विधान सभा क्षेत्र जबलपुर से प्रत्याशी. सन् 1990 में राम जन्म भूमि आंदोलन में सक्रिय एवं चित्रकूट के पास गिरफ्तार. सन् 2003 में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. विधान सभा की समितियों एवं शासन की विभागीय समितियों के सदस्य. सन् 2004 में भा.ज.पा. के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश मंत्री. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्य. सन् 2008 में तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित.

सन् 2013 में तीसरी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.

सम्प्रति: राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य विभाग.